

I/360946/2023

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र० लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 02 अगस्त, 2023

विषय:-शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु प्रदेश के निजी क्षेत्र के अन्तर्गत मेडिकल/डेण्टल कालेजो/डीमूड विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम०ई०-3/2023/683 दिनांक-20.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित मेडिकल/डेण्टल कालेजो/डीमूड विश्वविद्यालयों के लिए शासनादेश संख्या-1/120293/2021/71-4099/34/2021 दिनांक 08.12.2021 द्वारा एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम, शासनादेश संख्या-1/120291/2021/71-4099/34/2021 दिनांक 08.12.2021 द्वारा बी०डी०एस० पाठ्यक्रम, शासनादेश संख्या-1/120294/2021/71-4099/34/2021(पार्ट-2) दिनांक 08.12.2021 द्वारा एम०डी०/एम०एस० पाठ्यक्रम तथा शासनादेश संख्या-1/109712/2021/71-4099/34/2021 दिनांक 27.10.2021 द्वारा एम०डी०एस० पाठ्यक्रम के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रवेश एवं फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त शैक्षणिक सत्र वर्ष-2021-2022 हेतु निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो/डीमूड विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक स्तरीय (एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस०) एवं परास्नातक स्तरीय (एम०डी०/एम०एस०/एम०डी०एस०) पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित शुल्क को ही शैक्षणिक सत्र-2023-2024 हेतु यथावत लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में निजी क्षेत्र के स्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने वाले नये मेडिकल कालेज (एस०के०एस० मेडिकल कालेज, मथुरा) एवं परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने वाले निजी संस्थानों (कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, मथुरा व यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज) का शुल्क वर्ष 2021-22 की भांति औसत के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5- कृपया उपर्युक्तानुसार लिए गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by आलोक कुमार
Date: 02-08-2023 16:22:11
Reason (Approved)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तदिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
2. सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा० चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ०प्र० शासन।
4. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

I/360946/2023

5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी चौराहा, लखनऊ
6. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, सम्बन्धित मेडिकल/डेण्टल कालेज/डीम्ड विश्वविद्यालय, द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।